फर्द अहकाम

सूरजा बनाम नानगराम

म न्यायालय

त संख्या 265/2022 2022/540

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/4/2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप० पत्रावली शाखा वाली हेतु लिखित में कि प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा के संबंधित है एवं प्रतिवादीगण की ओर से एकतरफा कार्यवाही मामले में लाई जा रही है वकील वादी ने बहस अन्तिम हेतु निवेदन किया। वकील वादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। बहस वकील वादी व पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि वादी विवादित आराजी का खातेदार है अतः वादी की ओर से पेश वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर वादी वाद इस आशय के साथ डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम किशनपुरा उर्फ खातीपुरा, पटवार हल्का नयशाला तहसील सांगानेर स्थित खसरा नम्बर फर्दा 0.06 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की काबिज काश्त की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा प्रकरण निर्णय तक वादी किसी प्रकार का व्यतिक्रम करे इसी आशय अन्तिम डिक्री पृथक से जारी हो पत्रावली के साथ सुमार होकर फाईल नं. से नाम से बाद तामील दाखिल दफ्तर हो

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Reader
22/12/22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर सांगानेर

वाद पत्र संख्या /2022 265/22

सूरजमल पुत्र हरबक्स जाति ब्रह्मण आयु 85 वर्ष निवासी – ग्राम किशनपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. नानगराम बैरवा पुत्र चौथमल बैरवा जाति बैरवा
2. गोपाल बैरवा पुत्र चौथमल बैरवा जाति बैरवा
3. भँवरलाल बैरवा पुत्र चौथमल बैरवा जाति बैरवा
4. जगदीश बैरवा पुत्र चौथमल बैरवा जाति बैरवा
5. सूरजमल सैन पुत्र लक्ष्मीनारायण सैन जाति सैन
6. मदनलाल सैन पुत्र छीतर सैन जाति सैन
7. गोपाल लाल सैन पुत्र छीतर सैन जाति सैन
8. बृजेश सैन पुत्र राधेश्याम सैन जाति सैन
9. धर्मेन्द्र सैन पुत्र मूलचन्द सैन जाति सैन

समस्त निवासीगण – ग्राम किशनपुरा उर्फ खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

नानगराम

श्रीमानजी,

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:15:24 IST
Reason: SelfAttested